संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छठवी मंजिल, विन्ध्यांचल भवन, म0प्र0 भोपाल

फोन :–0755–2578491, फेक्स–2570122

E- rkvyhorti@mp.gov.in

क्रमांक/उद्यान/RKVY/2020-21/ 3547 भोपाल, दिनांक 1/6/2020

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान,

जिला- छिंदवाडा, भोपाल, सीहोर, देवास, खण्डवा, शाजापुर, इंदौर, बैतूल एवं अलीराजपुर।

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत "कलस्टर आधारित संरक्षित खेती" प्रोजेक्ट वर्ष 2019-20 के **शेष भौतिक-वित्तीय लक्ष्य** का वर्ष 2020-21 में आबंटन बावत।

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्र/उद्यान/RKVY/2019-20/1513 भोपाल, दिनांक 12/02/2020

---0---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार वर्ष 2019-20 अंतर्गत **"कलस्टर आधारित संरक्षित खेती"** परियोजना के अंतर्गत भौतिक-वित्तीय लक्ष्य जारी किए गए थे। आपके द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार लक्ष्य के विरूद्ध 31 मार्च 2020 की स्थिति में पूर्ति को आधार मानकर शेष बचे भौतिक-वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन वर्ष 2020-21 के लिए किया जाता है। अत: योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रेकिंग सिस्टम (MPFSTS) के माध्यम से निम्न दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

1. शेडनेट हाउस निर्माण हेतु कृषक को अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक लाभ दिया जा सकेगा। जिस हेतु इकाई लागत रू. 710.00 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 355.00 प्रति वर्ग मीटर अनुदान देय होगा।
2. पॉली हाउस निर्माण हेतु कृषक को न्यूनतम 2080 वर्ग मीटर एवं अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक लाभ दिया जा सकेगा। जिस हेतु इकाई लागत रूपये 844.00 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत रू. 422.00 प्रति वर्ग मीटर अनुदान देय होगा।
3. शेडनेट/पॉली हाउस में उच्च गुणवत्ता वाली सब्जी की खेती हेतु कृषक को अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक लाभ दिया जा सकेगा। जिस हेतु इकाई लागत रूपये 140.00 प्रति वर्ग मीटर का 50 प्रतिशत रू. 70.00 प्रति वर्ग मीटर अनुदान देय होगा।
4. निर्मित किये गये शेडनेट/पॉली हाउस के आकार की मात्रा के आधार पर अनुदान की गणना की जाकर भुगतान की कार्यवाही की जावे।
5. शेडनेट/पॉली हाउस का निर्माण एमपी एग्रो के माध्यम से पंजीकृत निर्माता कंपनी द्वारा किया जायेगा। इन संरचनाओं में कृषक अंश राशि एवं अनुदान का भुगतान एमपी एग्रो को किया जाएगा।

6. कार्यादेश/आशय पत्र जारी करने के अधिकतम 75 से 90 दिवस के भीतर क्षेत्रीय ग्रा.उ.वि.अधि./वरि.उ.वि.अधि./जिला उद्यान अधिकारी भ्रमण कर संरचना के निर्माण का एमपी एग्रो द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार सत्यापन करेंगे तथा कृषक से संरचना की स्थिति के संबंध में परामर्शीय सेवा प्रदान करने के उपरांत **जियो- टेगिंग** की कार्यवाही करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान हितग्राही की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
7. शेडनेट/पॉली हाउस में उच्च गुणवत्ता वाली सब्जी की खेती का कार्य स्वयं कृषकों द्वारा किया जाएगा। कार्य उपरांत अनुदान राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में किया जाएगा।
8. उक्त संरचनाओं का कार्य पूर्ण होने के उपरांत एवं समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

MIDH की गाईडलाईन अनुसार योजना का क्रियान्वयन किया जाकर भौतिक-वित्तीय लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें।

संलग्नः- भौतिक-वित्तीय लक्ष्य।

3/6

(पुष्कर सिंह)
आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/उद्यान/RKVY/2020-21/3548 भोपाल, दिनांक 1/6/2020

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, मालवीय नगर, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संलग्न अनुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को एम.पी.एफ.एस.टी.एस. पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत- छिंदवाडा, भोपाल, सीहोर, देवास, खण्डवा, शाजापुर, इंदौर, बैतूल एवं अलीराजपुर।
3. संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद एवं उज्जैन।

3/6

आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती अंतर्गत भौतिक-वित्तीय लक्ष्य आंवटन वर्ष 2020-21

1. शेडनेट हाउस- अधिकतम अनुदान रूपये 355/- प्रति वर्ग मी.

क्र.	जिला	भौतिक (वर्ग मी.)				वित्तीय (लाख में)			
		सामान्य	अजजा	अजा	योग	सामान्य	अजजा	अजा	योग
1	छिंदवाडा	0	2377	2377	4754	0.000	8.440	8.440	16.880
2	भोपाल	16000	0	0	16000	56.800	0.000	0.000	56.800
3	सीहोर	4000	0	0	4000	14.200	0.000	0.000	14.200
4	देवास	47295	19405	13670	80370	167.897	68.890	48.531	285.318
5	खण्डवा	16000	0	0	16000	56.800	0.000	0.000	56.800
6	शाजापुर	24000	0	0	24000	85.200	0.000	0.000	85.200
7	इंदौर	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
8	बैतूल	36290	0	0	36290	128.830	0.000	0.000	128.830
9	अलीराजपुर	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
	योग	143585	21782	16047	181414	509.727	77.330	56.971	644.028

2. पॉली हाउस- अधिकतम अनुदान रूपये 422/- प्रति वर्ग मी.

1	छिंदवाडा	4000	2000	2000	8000	16.880	8.440	8.440	33.760

3. शेडनेट/पॉली हाउस में उच्च कोटी के सब्जी की खेती- अधिकतम अनुदान रूपये 70/- प्रति वर्ग मी.

1	छिंदवाडा	4000	0	0	4000	2.800	0.000	0.000	2.800
2	अलिराजपुर	0	11050	0	11050	0.000	7.735	0.000	7.735
	योग	4000	11050	0	15050	2.800	7.735	0.000	10.535
	कुलयोग	151585	34832	18047	204464	529.407	93.505	65.411	688.323

आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल